



कार्यालय, जिला पंचायत सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

Email - drda.surajpur-cg@nic.in, drda.surajpur@gmail.com

Phone/Fax : 07775-266157

-:: विज्ञापन ::-

सूरजपुर दिनांक :- 05/01/2018

क्रमांक / 10588 / प्रमंआयो-ग्रा0 / जि0पं0 / 2017 :: अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 15 / प्रग्राविधि / 2017 नया रायपुर दिनांक 07.01.2017 विकासखण्डवार आवास मित्र 100 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 आवास मित्र अस्थाई नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताकारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 05.02.2018 अपराह्न 5.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक आवेदन पत्र में दर्शित किये गये शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्व हस्ताक्षरित फोटो के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

विकासखण्डवार आवास मित्र की आवश्यकता :-

क्र0	जनपद पंचायत का नाम	चयन हेतु आवास मित्र की संख्या
1	सूरजपुर	6
2	भैयाथान	6
3	प्रतापपुर	6
4	प्रेमनगर	6
5	ओड़गी	6
6	रामानुजनगर	6
कुल :-		36

अर्हता :-

1. शैक्षणिक अर्हता :-

- बी0ई0 सिविल / डीप्लोमा सिविल / कोई भी ब्रांच से बी0ई0 या डिप्लोमा / स्नातकोत्तर / स्नातक / 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी आवास मित्र चयन के लिए पात्र होंगे। बी0ई0 सिविल तथा डिप्लोमा सिविल अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात शेष अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को विकासखण्ड अंतर्गत उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्त किया जावेगा अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।

2. चयन का आधार :-

- अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार Wightage दी जावेगी।
 - हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको को 75 प्रतिशत।
 - बी0ई0 सिविल / डीप्लोमा सिविल का 25 प्रतिशत

3. आवेदन :-

आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

4. आयु :-

आवास मित्र हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे आयु की गणना हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में दर्शित जन्म तिथि के आधार पर 01.01.2018 से की जावेगी।

5. प्रोत्साहन राशि :-

आवास मित्र को प्रतिपूर्ण आवास के मान से 1000.00 रुपये प्रोत्साहन राशि की पात्रता उन्हें आबंटित कलस्टर के आवासों को 09 माह में पूर्ण कराने पर ही होगी।

6. अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि :-

यदि कोई आवास मित्र संबंधित कलस्टर में अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले आवास को 06 माह में पूर्ण करा लेते हैं तो उन्हें मानदेय के अतिरिक्त प्रतिपूर्ण आवास 200 रूपया का प्रोत्साहन राशि पृथक से प्रदान किया जावेगा लेकिन उक्त आवास 09 माह के पश्चात पूर्ण कराने पर प्रति आवास की दर से उनके मानदेय में 200 रू0 की कटौती की जावेगी। 01 वर्ष पश्चात आवास पूर्ण कराने पर उन्हें कोई मानदेय नहीं होगा।

7. समयावधि :-

“आवास मित्र की सेवा अवधि उनके प्रभार के कलस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 1 वर्ष होगी।

8. अवधि की गणना :-

आवास मित्र के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही की जावेगी जो अधिकतम 1 वर्ष होगी।

9. आवास मित्र के लिए निर्धारित जॉब चार्ट :-

- निर्धारित कलस्टर एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले आवासों के लिए हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा सामाग्री की उपलब्धता में सहायता करना।
- हितग्राहियों को उन्मुखिकरण करना।
- 0 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय सीमा में आवास पूर्ण करना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामाग्री रियायति दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वयक करना।
- हितग्राहियों तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण की स्टेज वाईज जनपद पंचायत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में एम0आई0एस0 में एंट्री सुनिश्चित करना।

10. विशेष :- चयनित आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में शासन-प्रशासन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

11. प्रकाशित विज्ञापन एवं निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन जिला पंचायत सूरजपुर की वेबसाइट www.surajpur.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रमांक / 10589 / जि0पंचा0 / PMAY-G. / 2018
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)
सूरजपुर, दिनांक 24/01/2018

1. स्टाफ आफिसर कार्यालय, अपर मुख्य सचिव छ0ग0 शासन महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जनसंपर्क कार्यालय जिला सूरजपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ 3. जिला NIC कार्यालय को सूचनार्थ एवं जिले के साईट में अपलोड लेबु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)

“ आवास मित्र ” पद हेतु आवेदन पत्र-प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सरजपुर (छ.ग.)

स्वयं द्वारा सत्यापित
पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक / आवेदिका का नाम
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)
3. पिता / पति का नाम
4. वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पि.व. / सामान्य)
5. लिंग (पुरुष / महिला)
6. जन्म तिथि
7. आयु (01.01.2018 के अनुसार)
8. स्थायी पता
9. विकासखण्ड (जनपद पंचायत)
10. पत्र व्यवहार का पता

11. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा परिणाम					बोर्ड / वि.वि. का नाम
		वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	
1							
2							
3							
4							
5							

11. अनुभव

क्र0	नियोक्ता का नाम	पदनाम	कब से	कब तक

अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

12. रोजगार कार्यालय का नाम
- /पंजीयन क्रमांक / तिथि

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है इसमें से कोई जानकारी गलत / असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन / चयन / नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा। एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)

नाम व पता